**पॉक्सो एक्ट/दुष्कर्म के आरोपी को थाना बैजनाथ पुलिस ने किया गिरफ्तार।**

थाना बैजनाथ में वादिनी की तहरीर के आधार पर दिनांक 15.05.24. को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–12/2024 धारा 376(2)च आई0पी0सी0 व पॉक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बागेश्वर श्री अक्षय प्रहलाद कोण्डे ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर श्री अंकित कंडारी के निर्देशन में अभियुक्त की तलाश/गिरफ्तारी हेतु 02 पुलिस टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में एक टीम को गैर राज्य उत्तर प्रदेश नोएडा रवाना किया गया व दूसरी पुलिस टीम द्वारा जनपद स्तर पर थानाध्यक्ष बैजनाथ के नेतृत्व में तत्काल कार्यवाही करते हुए सुरागरसी,पतारसी कर मुखबीर की सूचना पर सम्बन्धित अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ किशन राम पुत्र तिल राम निवासी ग्राम कमोल, पोस्ट– बमराड़ी (फटगली) थाना– कोतवाली बागेश्वर, जिला– बागेश्वर उम्र– 31 वर्ष को उसके घर ग्राम– कमोल से दिनांक 16/05/2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय में पेश किया गया।